International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 5, Issue 01, January 2018
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

नगर निकाय चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका (उ०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्था के संदर्भ में)

डा0 रामचन्द्र सिंह
अस्टिटेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
षहीद मंगलपाण्डे राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, मेरठ।

षोध सारांष

वर्तमान युग सूचना क्रान्ति का युग है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ा है साथ ही उत्तर प्रदेष निर्वाचन आयोग के क्रियाकलापों पर भी पड़ा है। आज सभी नागरिक सूचना के बड़े महामार्गों से जुड़ गए है। इन महामार्गों पर सूचना और आंकड़ों के यातायात ने विष्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आधुनिक युग में जीवन की गति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा साधन दूर संचार है। यह वाणिज्य, उद्योग, प्रषासन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा आर्थिक गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सानन्द, समृद्ध, स्वस्थ्य, रचनात्मक, और बौद्धिक समाज आज के सूचना युग की देन है।

मुख्यषब्दः– सूचनाक्रान्ति, ई–गवर्नेंस,सूचना प्रौद्योगिकी, चुनाव सुधार एवं विकेन्द्रीकरण आदि।

प्रस्तावना

भारत में नगरों का अस्तित्व तथा विकास कोई नई बात नहीं है यह प्राचीन काल से ही रहा है। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थषास्त्र से लेकर रामायण, महाभारत से होते हुए इसका वर्णन मुगलकालीन 'आइने अकबरी' में भी मिलता है। तत्पष्चात अंग्रेजी साम्राज्य में भी भारत

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

मे न केवल पुराने नगरों का विकास किया गया बल्कि कई नये नगरों की स्थापना कर उन्हें विकसित भी किया गया।

लोक प्रषासन और सरकारी क्रियाकलापों के क्षेत्र में नए आविष्कारों का सिलसिला इतना तीव्र है कि नयी पद्धतियां और उपकरण अपनाने के प्रयत्न अभी षुरू ही हुए होते हैं कि उन्हें छोड़ देने और दूसरी नयी पद्धतियों को अपनाने की जरूरत महसूस होने लगती है। सूचना तंत्र के विकास से प्रषासन और सरकार के स्वरूप पर एक विचित्र ढ़ंग से प्रभाव पड़ा है। विकसित देष पहले ही औद्योगिक समाज से सूचना समाज में तब्दील हो चुके हैं जबकि भारत में यह प्रक्रिया देर से लेकिन तेजी से चल रही है। सूचना के क्षेत्र में इस नई क्रान्ति का सूत्रपात 19वीं षताब्दी में टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ हो गया था। बाद में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलिफोन, सेल्यूलर फोन, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपग्रह, टेलिविजन, इंटरनेट, वीडियोफोन, प्रिंटर, मल्टीमीडिया इत्यादि ने इस प्रौद्योगिकी को वर्तमान क्रान्तिकारी स्वरूप प्रदान किया। निःसन्देह आने वाला दषक सूचना प्रौद्योगिकी को समर्पित रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य उपकरण उच्चगति माइक्रोइलेक्ट्रानिक युक्त दूरसंचार, उच्च तीव्रता इन्टरनेट कनेक्षन, सेटेलाइट, आप्टीकल फाइबरलिंक तथा वायरलेस नेटवर्क की मदद से किसी राष्ट्र का विष्वस्पर्द्धा में बना रहना संभव हो सकेगा।

सैद्धान्तिक पक्ष :–

भारत में नगर प्रषासन का अस्तित्व तथा विकास प्राचीन समय से है। 'मनुस्मृति' और 'महाभारत' में इनका उल्लेख मिलता है। मैगेस्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इण्डिका' में वर्णन किया है कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के लिए नगर प्रषासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की। 'आइने अकबरी' में मुगल साम्राज्य के नगरों और कस्बों के स्थानीय प्रषासन के बारे में सुस्पष्ट ब्यौरा मिलता है। मुस्लिम काल में नगर प्रषासन 'कोतवाल' नामक अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। वह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसके कार्य बहुत व्यापक थे। नगर में कानून और व्यवस्था, बाजारों पर नियन्त्रण, अपराधों तथा सामाजिक बुराइयों को रोकना, वार्डों के अनुसार लोगों की पंजिका तथा गुप्तचर व्यवस्था, आदि अनेक कार्य उसके सुपुर्द थे। इस प्रकार प्राचीनकाल में नगर संस्थाएं सुनिष्चित कार्यों के साथ कार्यरत थीं।

ब्रिटिष सरकार के आगमन के पष्चात् उन्होंने कई कारणों से षहरी स्वायत्त षासन के विषय में सोचा। ऐसा करने में उन्होंने भारत में पहले से प्रचलित देषी संस्थाओं के ढांचे को अधिक अपनाया। ब्रिटिष सरकार ने सबसे पहले 1687 में चेन्नई षहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। 1870 के लार्ड मेयो प्रस्ताव, 1882 के लार्ड रिपन प्रस्ताव, 1909 में विकेन्द्रीकरण पर रॉयल कमीषन की रिपोर्ट तथा 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने नगरीय प्रषासन को मजबूत एवं विकसित किया।

74वां संवैधानिक संषोधनः–

74वें संवैधानिक संषोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरों में भी लोकतान्त्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि नगरों में स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई है, किन्तु विभिन्न कारणों से वे कमजोर और प्रभावहीन हो गई थीं। इनके चुनाव समय पर नहीं कराए जाते थे और अधिकांषतः वे निलम्बित रहती थीं और प्रषासकों द्वारा षासित होती थीं। संविधान का 74वां संषोधन अधिनियम, 1992 इन सब बातों को सुनिष्चित करने और इन संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने, आदि के लिए लिए पारित किया गया है। इस संषोधन द्वारा संविधान में भाग–9 जोड़ा गया है जिसमें कुल 18 अनुच्छेद (अनुच्छेद 243त से अनुच्छेद 243ह तक) हैं और एक नई अनुसूची–बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर नगरपालिकाएं कानून बना कर अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बना सकती हैं।

नगरपालिकओं का गठनः–

अनुच्छेद 243 थ नगरपालिकाओं के गठन को उपबन्धित करता है जिसके उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित स्वायत्त निकायों का गठन किया जाएगाः–

(क) किसी संक्रमणषील क्षेत्र के लिए अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत चाहे जो नाम हो।

(ख) किसी लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।

अनुच्छेद 243द, 243घ नगरपालिकाओं की संरचना के संबंध में है। अनुच्छेद 243न नगरपालिकाओं के आरक्षण तथा अनुच्छेद 243प कार्यकाल को उपबन्धित करता है जिसके

अनुसार इनका कार्यकाल प्रथम अधिवेषन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि होगा। अनुच्छेद 243फ सदस्यों की निरर्हताओं के संबंध में है। अनुच्छेद 243ब नगरपालिकाओं की षक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों को उजागर करता है। अनुच्छेद 243भ नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपण एवं निधियों के संबंध में है। अनुच्छेद 243म यह उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। अनुच्छेद 243य लेखाओं के संपरीक्षा के बारे में उपबन्धित है।

अनुच्छेद 243यक नगरपालिकों के निर्वाचन के संबंध में है जिसके अनुसार नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देषन और नियन्त्रण अनुच्छेद 243ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमण्डल विधि बना कर नगरपालिकाओं के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबन्ध कर सकेगा। अनुच्छेद 243यघ जिला योजना समिति, अनुच्छेद 243यड. महानगर योजना, अनुच्छेद 243यछ निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तेक्षप पर रोक के बारे में है।

षहरी क्षेत्रों में प्रषासन के लिए निम्नांकित आठ प्रकार की नगरीय संस्थाओं का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया समिति, टाउन एरिया समिति, छावनी बोर्ड, टाउनषिप, पोर्ट ट्रस्ट तथा विषिष्ट उद्देष्य अभिकरण आते है। उत्तर प्रदेष में नगर निकायों के तीन प्रकार नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत है जिनके चुनाव उत्तर प्रदेष निर्वाचन आयोग सम्पन्न करवाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ :–

यूनेस्को के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और इंजीनियरी विषयों के अलावा सूचनाओं के आदान–प्रदान व प्रसंस्करण में काम आने वाली प्रबन्धन तकनीक उनका अनुप्रयोग, कम्प्यूटर तथा मनुष्यों और मषीनों से उनका तालमेल तथा इससे सम्बद्ध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे आते हैं। टेक्नोलॉजी, उत्पादों और तकनीकों के इस संयोजन को सूचना प्रौद्योगिकी कहते है। ओईसीडी (1987) सूचना प्रौद्योगिकी को एक ऐसा षब्द मानता है जिसका इस्तेमाल सूचनाओं के संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रेषण में काम आने वाली टैक्नोलॉजी के सन्दर्भ में किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा ऐसी चीजों के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में की जाती है जिनका उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक अर्थपूर्ण बनाने या इसकी मदद से तथ्यों को रूप और आकार देने में किया जाता है। इस परिभाषा में वे चीजें भी षामिल हैं जिनका उपयोग संगठन, प्रसंस्करण, संचार और सूचनाओं के उपयोग में किया जाता है। इस तरह व्यापक रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा सूचनाओं के कुषल प्रबन्ध के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इस्तेमाल के रूप में की जाती है, यानी सूचनाओं का संग्रहण व पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण, संचार, प्रसार और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए इसका मिलजुलकर उपयोग इसके दायरे में आते हैं। सूचना क्रान्ति वैज्ञानिक चक्र के तीसरे चरण को पूर्ण कर चौथे चरण में प्रवेष कर रही है। डिजीटल टेक्नोलॉजी भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इसका स्थान फोटोन टेक्नोलॉजी ले रही है। कम्प्यूटर, साइबर स्पेस, इण्टरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेल्यूलर टेलीफोन, रेडियो पेजिंग, रेडियो डाटा पेजिंग सर्विस, आई०एस०डी०एन०, सैटेलाइट फोन, फैक्स, वर्ल्ड वाइड वेब, यूजनेट, टेलनेट, पषुनेट, ई–फैक्स, टेलीटेक्स्ट, मल्टीमीडिया, इनमारसेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई–गवर्नेन्स इत्यादि सूचना क्रान्ति के प्रमुख उपकरण है।

उ०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाः–

सूचना क्रान्ति के फलस्वरूप लोक प्रषासन में आष्चर्यजनक बदलाव आने लगे है। परम्परागत प्रषासन का स्थान 'गवर्नेन्स' लेने को जा रहा है और आज 'ई–गवर्नेन्स' की चर्चा होने लगी है। 'ई–गवर्नेन्स' के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सेवाएं और लाभ 'ऑन लाइन' उपलब्ध कराएं जाने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने इसके उपकरणों के माध्यम से नागरिक और प्रषासन को एक–दूसरे के आमने–सामने खड़ा कर दिया है। प्रषासन न केवल त्वरित, कुषल हो रहा है अपितु पारदर्षी भी बनता जा रहा है। नागरिकों को उनके कामकाज संबंधी सूचनाएं एवं प्रक्रियाएं ऑन लाइन उपलब्ध होने लगी है। उत्तर प्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग ने 'नगर निकाय चुनाव–2017' से संबंधित जानकारियां मोबाइल के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। इसके लिए केवल मोबाइल फोन नंबर राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पंजीकृत करना था। आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.in के सेल्फ मोबाइल रजिस्ट्रेषन के बटन को क्लिक करिये। उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें

अपने नाम को सर्च में डालिए, आपके नाम से संबंधित सारा ब्योरा सामने आने पर मोबाइल फोन वाले कालम में जाकर अपना मोबाइल फोन नम्बर दर्ज करिए और उसके बाद निष्चित हो जाइये।

मतदान वाले दिन आपको आयोग की तरफ से मैसेज मिलेगा कि आप अपने घर से निकलिए और जाकर मतदान करिए। फिर मतगणना वाले दिन अपने निकाय से संबंधित चुनावी नतीजे जानने के लिए भी बैचेन होने की जरूरत नहीं है। चुनाव नतीजा घोषित होते ही आपके मोबाइल फोन पर आयोग से मैसेज आ जाएगा। इस निकाय चुनाव में पहली दफा प्रत्याषियों को भी सारी संबंधित जानकारी आनलाइन देने की व्यवस्था की गई है। नामांकन भरने के दौरान प्रत्याषी जो हाथ से भरा हुआ नामांकन पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष दाखिल करेगा उसमें अंकित सारी सूचना इस नामांकन पत्र के आनलाइन प्रारूप में तत्काल फीड कर दी जाएगी। इसके बाद एक प्री–ई–रसीद निकलेगी जो मौके पर प्रत्याषी को दी जाएगी कि वह खुद जांच कर लें कि नामांकन पत्र में भरी गई उससे संबंधित सारी सूचनाएं सही हैं या नहीं। अगर सारी सूचनाएं सही हैं तो फिर फाइनल–ई–रसीद निकलेगी जिससे यह तय हो जाएगा कि प्रत्याषी का नामांकन फार्म जमा हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच, चुनाव चिन्ह आवंटन आदि चरणों की जानकारियां भी ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पर देखी जायेंगी।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव संबंधित आंकड़े की समस्त जानकारी उपलब्ध कराई गई। आयोग की मेन वेबसाइट पर दिए गए लिंकों इलेक्षन रिजल्ट, पोंलिग परर्सेंटेज, इलेक्षन लाइव, सर्च रिजर्वेषन, सर्च रिटर्निंग ऑफिसर, सेल्फ मोबाइल रजिस्ट्रेषन, अर्बन वोटर सर्च/वोटर स्लिप, फाइंड अर्बन पोलिंग सेन्टर, यूएलबी वोटर लिस्ट–2017 तथा डाउनलोड कैडिंडेट डिटेल के जरिए नगर निकाय चुनाव के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं।

इलेक्षन रिजल्ट के आप्षन में विनर रिजल्ट लिस्ट, रिजल्ट डैषबोर्ड, पोलिटिकल पार्टी वाइस, पार्टी वाइस कैंडिडेट लिस्ट, इन्डिविजुल रिजल्ट सर्च/विनिंग कैडिंडेट सर्टिफिकेट तथा पोस्ट वाइस पार्टी पर्फोमेंस श्रेणियों में आंकड़ा व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है। पोलिंग परर्सेंटेज आप्षन में प्रत्येक नगर निकाय का मतदान प्रतिषत उपलब्ध है इसी प्रकार इलेक्षन लाइव आप्षन में भी चुनाव की विस्तृत जानकारी तुरन्त उपलब्ध हो जाती है। सर्च रिजर्वेषन आप्षन

के जरिये नगर निकाय के आरक्षण, सर्च रिटर्निंग ऑफिसर आप्षन के जरिये नगर निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर की जानकारी की जा सकती है तथा सेल्फ मोबाइल रजिस्ट्रेषन के जरिये अपने मोबाइल नम्बर का रजिस्ट्रेषन किया जा सकता है। इसी प्रकार अर्बन वोटर सर्च/वोटर स्लिप आप्षन के जरिये वोट सर्च किया जा सकता और मतदाता पर्ची भी प्राप्त की जा सकती है एवं फाइंड अर्बन पोलिंग सेन्टर आप्षन के मतदान केन्द्र, यूएलबी वोटर लिस्ट–2017 के माध्यम से मतदाता सूची और डाउनलोड कैडिंडेट डिटेल के जरिये उम्मीदवार की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति :–

प्रस्तुत षोध पत्र का विषय ''नगर निकाय चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका (उ०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्था के संदर्भ में)'' है जो कि आनुभविक षोध की सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से उत्तर प्रदेष के मेरठ जनपद के नगर निगम मेरठ के अर्न्तगत सम्पन्न किया गया। अध्ययन क्षेत्र पष्चिमी उत्तर प्रदेष के अग्रणी जनपद का हिस्सा है। नगर निगम मेरठ के सभी मतदाता षोध का प्रतिदर्ष रहे। प्रतिदर्ष से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विषय विषेषज्ञों की राय के आधार पर निर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया। तत्पष्चात प्राप्त आंकड़े का सारणीकरण एवं विष्लेषण करके गणीतीय प्रतिषत के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत 500 उत्तरदाताओं को चुना गया, जिनके चुनते समय धर्म, जाति, आय, आयु, लिंग, क्षेत्र तथा षैक्षिक योग्यता को आधार बनाया गया है। विषय से सम्बन्धित अनुसूची तैयार कर साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े संकलित किये गये जिनका विष्लेषण निम्न सारणीयों के माध्यम से किया जा रहा है–

तालिका 1.1

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र0स0	विवरण	आवृति	प्रतिषत
1	हिन्दू	300	60
2	मुस्लिम	180	36
3	अन्य	20	04
	योग	500	100

तालिका 1.2

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र0स0	विवरण	आवृति	प्रतिषत
1	सामान्य जाति	250	50
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	150	30
3	अनुसूचित जाति	100	20
	योग	500	100

तालिका 1.3

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र0स0	विवरण	आवृति	प्रतिषत
1	18–25 वर्ष	200	40
2	26–35 वर्ष	150	30
3	36–45 वर्ष	100	20
4	46–60 वर्ष	50	10
	योग	500	100

तालिका 1.4

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र0स0	विवरण	आवृति	प्रतिषत
1	पुरूष	300	60
2	स्त्री	200	40
	योग	500	100

तालिका 1.5

षैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र0स0	विवरण	आवृति	प्रतिषत
1	हाईस्कूल तक	200	40
2	इण्टरमीडिएट	100	20
3	स्नातक	50	10
4	स्नाकतोत्तर	50	10
5	व्यावसायिक षिक्षा प्राप्त	50	10

6	तकनीकि षिक्षा प्राप्त	50	10
	कुल	500	100

तालिका 1.6

क्षेत्र के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र0स0	विवरण	आवृति	प्रतिषत
1	विकसित क्षेत्र	200	40
2	अल्पविकसित क्षेत्र	150	30
3	अविकसित क्षेत्र	150	30
	योग	500	100

समन्व्यीकृत सारणी

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में उत्तरदाताओं के अवगत होने के सम्बन्ध में विवरण –

क्र0स0	विवरण	प्रतिदर्ष सं0	आवृति	प्रतिषत
1	हिन्दू	300	210	70
2	मुस्लिम	180	72	40
3	अन्य	20	15	75
1	अगड़ी जातियाँ	250	200	80
2	पिछड़ी जातियाँ	150	90	60
3	अनुसूचित जातियाँ	100	50	50
1	18–25 वर्ष	350	280	80
2	36–45 वर्ष	100	70	70
3	46–60 वर्ष	50	27	5
1	पुरूष	300	240	80
2	स्त्री	200	100	50
1	स्नातक/स्नातकोत्तर व्यावसायिक/तकनीकी षिक्षा प्राप्त	200	180	90
2	इण्टरमीडिएट	100	60	60
3	हाईस्कूल तक	200	100	50

अध्ययन क्षेत्र में धर्म/जाति के आधार पर प्राप्त आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म के 70 प्रतिषत मतदाता सूचना प्रौद्योगिकी का निकाय चुनावों में प्रयोग से अवगत है, जबकि मुस्लिम धर्म में यह प्रतिषत गिरकर 40 प्रतिषत पर पहुँच जाता है। उसी तरह अंगड़ी जातियों में यह प्रतिषत 80 प्रतिषत है वहीं पिछड़ी जातियों में 60 प्रतिषत तथा अनुसूचित जातियों में यह 50 प्रतिषत पर ही पहुँच जाता है। आयु के आधार पर देखने से पता चलता है कि 18–25 व 26–35 वर्ष के मतदाताओं में यह जागरूकता 80 प्रतिषत है वहीं 36–45 वर्ष के मतदाताओं में 70 प्रतिषत तथा 46–60 वर्ष के मतदाताओं में 55 प्रतिषत मतदाता सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अवगत है।

लिंग के आधार पर महिलाओं का इस सन्दर्भ में प्रतिषत पुरूषों के मुकाबले काफी कम यानि पुरूषों में 80 प्रतिषत जानकारी है तो महिलाओं में यह 50 प्रतिषत पर पहुँच जाता है। षैक्षिक योग्यता के आधार पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर मतदाताओं तथा व्यावसायिक व तकनीकी षिक्षा प्राप्त मतदाताओं में जानकारी का प्रतिषत 90 है वहीं हाईस्कूल व उससे कम षैक्षिक योग्यता हासिल मतदाताओं में यह 50 प्रतिषत ही है। विकसित क्षेत्रों में इस जानकारी का प्रतिषत लगभग 95 प्रतिषत है तो वहीं अल्पविकसित में 70 प्रतिषत व अविकसित में 50 प्रतिषत ही पहुँच पाता है।

निष्कर्षः–

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग व प्रभाव का काफी असर पड़ा है तथा मतदाताओं को चुनावी गतिविधियों की नवीन जानकारियाँ मिलनी प्रारम्भ हो गयी है। परन्तु यह जानकारी मत प्रतिषत बढ़ाने में कामयाब नही हो पाई जिसमें अनेको भिन्न कारण है, जिनपर अलग से अध्ययन किया जाने की आवष्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. राधा कुमुद मुखर्जी, प्राचीन भारत में स्थानीय सरकार, दिल्ली मोतीलाल बनारसीलाल–1958
2. डॉ0 हरिषचन्द्र षर्मा, भारत में स्थानीय प्रषासन, जयपुर ए.बी.सी.डी. प्रकाषन, 2002
3. Altakar A-s, State and Govt. in Ancint India, Delhi Motilal Banarsi Das 1958.

4. घोष रत्ना एवं कुमार आलोक, पंचायत सिस्टम इन इण्डिया, कनिष्का पब्लिषर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली–1999.
5. बाषम, ए0एल0 अद्भुत भारत, आगरा, षिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 1996.
6. माहेष्वरी, एस0 आर0 भारत में स्थानीय सरकार, नई दिल्ली ओरियन्ट लोंग मेन्स 1971.
7. भार्गव एम0बी0एल0, भारत में स्थानीय स्वषासन (उत्तर प्रदेष के विषेष सन्दर्भ में), लखनऊ 1965.
8. उ0प्र0 चुनाव आयोग वेबवाइट–sec.up.nic.in